

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3365  
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली की कमी

3365. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बिजली की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बिजली की मांग और आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बिजली आपूर्ति की इकाई लागत और मूल्य/राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 470 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 238 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता की स्थिति में पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014 से अब तक 2,01,088 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों, 7,78,017 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता की वृद्धि की गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट अंतरित करने की क्षमता प्राप्त हुई है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान देश की अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण अनुबंध पर है। इससे पता चलता है कि वर्तमान वर्ष 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच का अंतर घटकर 0.1% के मामूली स्तर पर आ गया है। ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच यह मामूली अंतर भी आम तौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किए हैं:

(क) भारत सरकार ने नवंबर 2023 में वर्ष 2031-32 तक अतिरिक्त न्यूनतम 80,000 मेगावाट कोयला आधारित क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इस लक्ष्य के निमित्त वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में 9,350 मेगावाट की कोयला आधारित क्षमता शुरू की जा चुकी है। 29,900 मेगावाट

ताप क्षमता निर्माणाधीन है और वित्त वर्ष 2024-25 में 22,640 मेगावाट ताप क्षमता के लिए अनुबंध दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, देश में 33,580 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता अभिचिन्हित की गई है जो योजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 13,997.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 24,225.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) 7,300 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की परमाणु क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 84,310 मेगावाट सौर, 28,280 मेगावाट पवन और 40,890 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 1,53,920 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 46,670 मेगावाट सौर, 600 मेगावाट पवन और 22,940 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 70,210 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 13,050 मेगावाट/78,300 मेगावाट घंटा पम्प भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन/सहमति ली जा चुकी है तथा 14,970 मेगावाट/54,803 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली के विभिन्न चरणों में हैं।

- (ii) विद्युत अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई है। वर्ष 2014 से अब तक 2,01,088 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनों, 7,78,017 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता में वृद्धि की गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट विद्युत अंतरित करने की क्षमता प्राप्त हुई है। विद्युत उत्पादन और विद्युत की मांग में वृद्धि के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।
- (iii) विद्युत अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को अपनी पूर्ण क्षमता से प्रचालन एवं विद्युत उत्पादन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iv) ईंधन की कमी से बचने के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- (v) एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ अन्य उत्पादकों को उच्च विद्युत मांग अवधि के दौरान शेड्यूल किया जा रहा है।
- (vi) आईपीपी और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों सहित सभी विद्युत उत्पादन कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे नियोजित रखरखाव या मजबूरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर उत्पादन करें और पूर्ण उपलब्धता बनाए रखें।
- (vii) जल विद्युत आधारित उत्पादन को इस प्रकार से निर्धारित किया जा रहा है, जिससे उच्चतम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए जल संरक्षण किया जा सके।
- (viii) उच्च मांग की अवधि के दौरान उत्पादन यूनिट के नियोजित रखरखाव को न्यूनतम किया जा रहा है।
- (ix) नई विद्युत उत्पादन क्षमता को समय पर बढ़ाने के लिए बारीकी से निगरानी की जा रही है।

- (x) सरकार ने विनियामक फ्रेमवर्क के माध्यम से विद्युत व्यापार की सुविधा प्रदान की है, जिसके तहत अधिशेष उत्पादन वाले राज्य तीन (3) विद्युत एक्सचेंजों अर्थात भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से घाटे वाले राज्यों को विद्युत बेच सकते हैं।
- (xi) विद्युत एक्सचेंज में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपीडीएम) को जोड़कर विद्युत बाजार में सुधार किया गया है। इसके अलावा, ई-बोली के लिए डीईईपी पोर्टल और डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक विद्युत की खरीद के लिए ई-रिवर्स पोर्टल भी है।
- (ग) :** आपूर्ति की यूनिट लागत और प्राप्ति की यूनिट दर के बीच अंतर को कम करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित सहित कई उपाय/पहल की हैं:
- (i) वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई है। स्कीम के अंतर्गत निधि जारी करना राज्यों/वितरण यूटिलिटीयों से जुड़ा है, जो अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, जिसमें समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों के मापदंडों में सुधार और आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच अंतर शामिल है।
  - (ii) नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से टैरिफ और ड्र-अप ऑर्डर का समय पर जारी करना।
  - (iii) विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमों के माध्यम से जेनको बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है।
  - (iv) राज्य विद्युत यूटिलिटीयों को ऋण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड अनिवार्य कर दिए गए हैं।
  - (v) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के अतिरिक्त उधार स्थान की अनुमति देने की स्कीम, जो अपनाए गए सुधारों और विभिन्न मापदंडों के निमित्त प्राप्त कार्यनिष्पादन से जुड़ी है।
  - (vi) राज्य सरकारों द्वारा घोषित सब्सिडी के समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।
  - (vii) ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) तथा लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए भी नियम बनाए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें पारित की जाएं।

केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 24 की अवधि में आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच का अंतर 0.71 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर 0.19 रुपये/किलोवाट घंटा रह गया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी 2025 तक) के दौरान अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का विवरण:

वर्ष	ऊर्जा			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%
2021-22	1,379,812	1,374,024	5,787	0.4
2022-23	1,513,497	1,505,914	7,583	0.5
2023-24	1,626,132	1,622,020	4,112	0.3
2024-25* (फरवरी 2025 तक)	1,547,785	1,546,229	1,555	0.1

\* फरवरी, 2025 का डेटा अनंतिम है।

\*\*\*\*\*